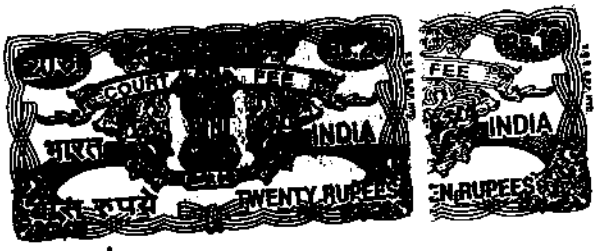

COURT FEE INDIA TWENTY RUPEES
COURT FEE INDIA TEN RUPEES

47

-1-

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर म.प्र.

R-2590-I/16

1. धूराम तनय तिजई यादव
2. कल्याणसिंह तनय जंगीसिंह यादव
3. धर्मजीत तनय जंगीसिंह यादव
4. रामेश्वर सिंह तनय जंगीसिंह यादव

निवासी ग्राम दोनी तह. नौगांव जिला छतरपुर ....निगरानीकर्तागण

विरूद्व

श्रीमति नोनी दुलैया बेवा बैजनाथ यादव
निवासी स्टेट बैंक आफ इंडिया शाखा नौगांव
के पास गनेश मंदिर के पास यादव भवन
नौगांव तह. नौगांव जिला छतरपुर ......अनावेदक

श्री ... द्वारा आज दि. 3-8-16 को प्रस्तुत
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त नामांकित निगरानीकर्तागण न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 165/अ-6/14-15 पारित आदेश दिनांक 19/7/16 से दुखित होकर निम्न आधारों सहित अन्य आधारों पर अपनी यह निगरानी श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है :-

1. यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा दोनी स्थित भूमि खसरा क्र 1178, 1179, 1191, 1195, 1241, 1243, 1259, 2987, 529, 546, 685, 705/2, व 3125 कुल रकवा 7.87 हे भूमि निगरानीकर्तागण के पूर्वजों की भूमि तथा आवेदकगण द्वारा उक्त भूमि का बंटवारा कर उनका नाम दर्ज किए जाने हेतु एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें अनावेदक द्वारा सहमति का शपथपत्र प्रस्तुत कर अपनी पूर्ण सहमति प्रदाय की गयी जिसके आधार पर राजस्व निरीक्षक भू प्रबंधन द्वारा नामांतरण पंजी क्र 10 पर दिनांक 25/11/2007 को अपना प्रतिवेदन सहायक अधीक्षक भू अभिलेख को प्रेषित किया गया जिसके आधार पर सहायक अधीक्षक भू अभिलेख द्वारा बंटवारा स्वीकृत कर आवेदक क्र 1 को 1/2 हिस्से पर तथा आवेदक क्र 2 से 4 तक का बाकी 1/2 पर नाम दर्ज करने का आदेश पारित किया गया जिसके विरूद्व

(निलेन्द्र सिंघई एड. सागर
94251-71223
9009209222)

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश –ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-2590/I/16 जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3.8.16	1– आवेदकगण के अधिवक्ता श्री नितेन्द्र सिंधई उपस्थित केवियटकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री कुशवाहा अधिवक्ता उपस्थित उनके तर्क श्रवण किए गए। मैने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी अपर आयुक्त सागर संभाग सागर म0प्र0 के प्र.क्र. 165/अ–6/वर्ष 14–15 में पारित आदेश दिनांक 19/7/16 के विरूद्व प्रस्तुत की गयी है। 2– आवेदकगण के तर्क में कहा गया कि प्रश्नाधीन भूमि उभय पक्ष की पैत्रिक भूमि है तथा अनावेदक के पति के जीवनकाल में ही उनके मध्य मौखिक बंटवारा हो गया था तथा प्रश्नाधीन भूमि का 1/2 हिस्सा आवेदक क्र 1 तथा 1/2 आवेदक क्र 2 से 4 तक को हिस्से में प्राप्त हुआ था तथा मौखिक बंटवारा के आधार पर आवेदकगण भूमि पर काबिज होकर कृषि कार्य करते चले आ रहे है परंतु प्रश्नाधीन भूमि राजस्व अभिलेख में अनावेदक के नाम पर दर्ज थी इस कारण से अनावेदक की पूर्ण सहमति के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा आवेदकगण के पक्ष में नामांतरण आदेश पारित किया गया था। 3– आवेदकगण का तर्क है कि अनावेदक काफी वृद्व व निःसंतान माहिला है तथा वह कभी भी किसी भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुई है और ना ही उसके द्वारा स्वस्थ मन से किसी भी न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गयी है। उनका तर्क है कि अनावेदक की वृद्व अवस्था व अस्वस्थता का अनुचित लाभ लेकर उसके मायके पक्ष के व्यक्तियों द्वारा भूमि हडप करने के उददेश से अपील प्रस्तुत की थी। उनका यह भी तर्क है कि अनावेदक निःसंतान है तथा आवेदकगण रिश्ते में उसके सगे भतीजे है इस कारण से हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान अनुसार भी प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण का हक व हिस्सा है। आवेदकगण का तर्क है कि पैत्रिक भूमि के संबंध मे वारिस संहिता की धारा 178 के प्रावधान अनुसार बंटवारा कराकर	

R- 2590. I/16 (छतरपुर)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
	नामांतरण कराने के लिए सक्षम है उपरोक्त आधारों पर उनके द्वारा निगरानी स्वीकार किए जाने का अनुरोध किया गया है।	
	4— अनावेदक/केवियटकर्ता की ओर से तर्क में कहा गया कि प्रश्नाधीन भूमि अनावेदक की भूमि है तथा अनावेदक द्वारा आवेदकगण के पक्ष में कोई भी स्टाम्प अथवा सहमति पत्र निष्पादित नहीं किया गया है। उनका यह भी तर्क है कि अपर कलेक्टर छतरपुर एंव अपर आयुक्त सागर द्वारा संपूर्ण विवेचना उपरांत आदेश पारित किए है जो कि समवर्ती आदेश है जिनमें हस्ताक्षेप की आवश्यकता ना होने के आधार पर उनके द्वारा निगरानी को इसी स्तर पर निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है।	
	5— आवेदकगण एंव अनावेदक के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का तथा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रकरण में प्रश्नाधीन भूमि राजस्व अभिलेख में अनावेदक के नाम पर दर्ज थी तथा राजस्व निरीक्षक भू प्रबंधन द्वारा दिनांक 25/11/2007 को अनावेदक के सहमति के शपथपत्र के आधार पर प्रश्नाधीन भूमि का बंटवारा किए जाने का प्रतिवेदन सहायक अधीक्षक भू अभिलेख को प्रेषित किया गया जिसके आधार पर सहायक अधीक्षक भू अभिलेख द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का बंटवारा स्वीकृत कर इसी क्रम में आवेदकगण का नाम दर्ज किए जाने का आदेश पारित किया गया है। संहिता की धारा 178 के अंतर्गत भूमि का बंटवारा किए जाने पर कोई स्टाम्प शुल्क देय किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है जिस कारण अपर कलेक्टर छतरपुर एंव अपर आयुक्त सागर का यह निष्कर्ष कि प्रकरण में उचित स्टाम्प शुल्क अदा नहीं किया गया है विधि अनुरूप नहीं है। अनावेदक की सहमति के आधार पर आवेदकगण के पक्ष में विचारण न्यायालय द्वारा बंटवारा आदेश पारित कर नाम दर्ज किए जाने का आदेश पारित किया है इस कारण से विधिक प्रावधान अनुसार सहमति के आधार पर पारित आदेश के विरूद्व अपील वर्जित है। अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के उपरान्त अपर कलेक्टर छतरपुर एंव अपर आयुक्त सागर का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं पाता हूँ।	
	6— उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है अपर आयुक्त सागर संभाग सागर का आदेश दिनांक 19/7/16 एंव अपर कलेक्टर छतरपुर का आदेश दिनांक 14/11/14 निरस्त किए जाते है तथा	

K-2590-I/16 (छतरपुर)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	सहायक अधीक्षक भू अभिलेख छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 11/12/2007 यथावत् रखा जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	